

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
// आदेश //

क्रमांक एफ 3-16/2018/38-1
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक

12 9 APR 2022

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छ.ग.)

No.: L-201
AD (K) / J / W
Section - 261 W.P.I.
Date - 5 MAY 2022 - C.H.E.

विषय :- शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत अस्थायी पदों की निरंतरता की स्वीकृति।

राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार 219 शासकीय महाविद्यालयों में, स्वीकृत 4174 अस्थायी पदों को दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक निरंतर रखने की स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त पदों पर होने वाला व्यय निम्न शीर्षकों में विकलनीय होगा :-

स. क्र.	मांग संख्या	शीर्षक	महाविद्यालयों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या
1	मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना	131	2385
2	मांग संख्या-41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0102)-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, आयोजना	76	1600
3	मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-2201-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0103)-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-(798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जाति उपयोजना, आयोजना	12	189
कुल योग			219	4174

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00219, दिनांक 22.04.2022 द्वारा प्रदान की गई है।

// 2 //

4/ उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों को पद निरंतरता की स्वीकृति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:- (पृष्ठ 70 से 111 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(आर.ए.निर्मलकर)

अवर सचिव,
छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 3-16/18/38-1

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक /04/22

प्रतिलिपि: -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
3. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी, छत्तीसगढ़.....
4. आदेश फोल्डर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव,

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग